

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3041(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.12.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 3021 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “भाई कन्हैया जी बृद्ध घर, यातीम घर, आयुर्वेदिक दवाखाना, भाई मझ साहिब रोड, सुल्तानविंद, जिला अमृतसर, पंजाब-143001” द्वारा “भाई कन्हैयाजी बृद्ध घर, यतीम घर आयुर्वेदिक दवा घर कल्याण समिति” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.55 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 25 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “भाई कन्हैया जी बृद्ध घर, यातीम घर, आयुर्वेदिक दवाखाना, भाई

मझ साहिब रोड, सुल्तानविंद, जिला अमृतसर, पंजाब-143001” द्वारा चलाई जा रही “भाई कन्हैयाजी बृद्ध घर, यतीम घर आयुर्वेदिक दवा घर कल्याण समिति” की परियोजना अथवा स्कीम को 1.55 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 पहले ही समाप्त हो गए हैं, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 कग के तहत वित्तीय वर्षों 2013-14 तथा 2014-15 हेतु कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. 231/2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ (एन. सी)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)